

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची

कार्यालय आदेश सं०-19M (15)/ 2001- 199

दिनांक.....2.6...../08/2015

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-1547 दिनांक-16.07.2015 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-1023 दिनांक-06.03.2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में श्री राजकिशोर झा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर को अगले आदेश तक अपने कार्य के अतिरिक्त कोल्हान वन प्रमण्डल अंतर्गत सायतबा प्रक्षेत्र, बरकेला के दृष्ट प्रभार में रहने का आदेश दिया जाता है।

सायतबा प्रक्षेत्र, बरकेला में सरकार के स्तर से किसी अन्य वन क्षेत्र पदाधिकारी का पदस्थापन होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आवश्यक समझे जाने पर उक्त व्यवस्था कभी भी सरकार/ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवक्रमित की जा सकेगी।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

ज्ञापांक...19.12.15/15- 199

दिनांक.....2.6...../08/2015

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

ज्ञापांक...19.12.15/15- 199

दिनांक.....2.6...../08/2015

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रमण्डल, चाईबासा/ श्री राजकिशोर झा, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

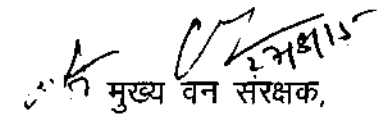
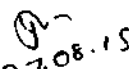
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखंड, रांची

ज्ञापांक-19M (15)/ 2001- 287

दिनांक 27/08/2015

प्रतिलिपि- Envis Centre, वन भवन, रांची को विभागीय वेबसाईट पर PCCF
Instruction में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (राजपत्रित), झारखंड, रांची

27.08.15